न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 45 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. विरधाराम पुत्र टीकमाराम 2. हरखाराम पुत्र अर्जुनराम 3. गजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनराम 4. मेघराज पुत्र तगाराम 5. अशोककुमार पुत्र तगाराम 6. श्रीमती अनुदेवी पत्नी तगाराम 7. प्रभुराम पुत्र पदमाराम 8. रागाराम पुत्र पदमाराम 9. मोटाराम पुत्र पदमाराम 10. जगमालराम पुत्र हरजीराम 11. मोहनलाल पुत्र हरजीराम 12. लुम्भाराम पुत्र अमराराम 13. पीराराम पुत्र अमराराम 14. रतनसिंह पुत्र किशनाराम 15. सतीशकुमार पुत्र किशनाराम 16. श्रीमती चूनीदेवी पत्नी किशनाराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी हूडों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर	1. खेमाराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट मूल निवासी रेवाड़ी (वाटाडू) हाल हूडों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 58 / 1981 बअनवान खेमाराम बनाम टीकगाराग वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.1981 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करनाराम चोधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—08.08.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा हूडों की ढाणी तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 84 में से रकबा 40 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शाई गई है, वादी के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 222 का अभिन्न अंग करार देते हुए खातेदारी की घोषित की जावे और इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक दुरस्ती करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उतरदाता संख्या 01 खेमाराम ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मन कानूनन आदेश 05 नियम 16 से 19 सी पी सी के तहत विधिवत रूप से तामील नहीं हुए। उपरोक्त सम्मनों पर अंगुष्ठ निशान किस व्यक्ति के रूबरू किये गये है, यह अंकित नहीं किया गया है और उपरोक्त अंगुष्ठ निशान को किन व्यक्तियों ने पहचान की है, यह भी अंकित नहीं किया गया है। उतरदाता संख्या 01 अपना वाद साबित करने हेतु न तो अपनी तरफ से साक्ष्य में प्रस्तुत हुआ है और न ही कोई गवाहन ही प्रस्तुत किये गये है और न ही कोई मोके पर मौका रिपोर्ट ही तलब की गई है और न ही वाद के साथ प्रस्तुत जमावन्दियों व नक्शे को प्रदर्शित करवाया गया है और न ही पर्चा लगान व खतौनी बन्दोबस्त आदि को प्रस्तुत प्रदर्शित करवाया गया है और न ही वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होने के सबंध में गिरदावरी की कोई नकल ही पेश की है और न ही कोई वादग्रस्त भूमि के संबंध में लगान की रसीदें ही पेश की है। वास्तव में वादग्रस्त भूमि 40 बीघा भूमि पर आज भी उतरदाता संख्या 01 का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। केवल एकतरफा निर्णय व डिक्री के आधार पर म्यूटेशन भरा जाकर जगाबन्दी में बतौर खातेदार दर्ज हुआ है। अपीलांटगण के पूर्वज अनपढ, ग्रामीण व काश्तकार व्यक्ति थे जिनकी अनपढ़ता का लाभ उठाते हुए उनके फर्जी अंगुठे करे हुए वकील नियुक्त कर एकतरफा कार्यवाही निरस्त कर इकबाली जबावदावा फर्जी तौर से प्रस्तुत किया गया है और फर्जी तौर से उसकी पहचान दी गई है, जिसका ज्ञान अपीलांटगण को इतने दिनों तक नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 2005 Page 125

RRD 2005 Page 701

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

RRT 2015(1) Page 1

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि मौजा हूडों की ढाणी तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 84 में से रकबा 40 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शाई गई है, वादी के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 222 का अभिन्न अंग करार देते हुए खातेदारी की घोषित की जावे और इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक दुरस्ती करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उतरदाता संख्या 01 खेमाराम ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। उपरोक्त वाद दर्ज होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम सम्मन जारी किया जो स्वयं से तामील होकर न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस द्वारा इकबालिया जबाव पेश करने के पश्चात राजीनामा के अनुसार पारित की गई। राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री की अपील पोषणीय ही नहीं है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील में आपति की गई कि इकबालिया जबाव धोख से पेश किया गया लेकिन अपीलांटस द्वारा कोई एफ आई आर नहीं करवाई है। अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटस/वादी का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलांटगण द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। उतरदाता अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियाः—

DNJ 2022(2) Page 891

प्रार्थना—पत्र मौका रिपोर्ट तलब करने बाबत पर अपीलांटस अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि इस प्रकरण की वास्तविक सही स्थिति ज्ञात करने के लिये उपरोक्त खसरे की मौका रिपोर्ट आवश्यक है ताकि न्यायालय को इस अपील के निस्तारण में भी सहयोग मिलेगा और उतरदाता संख्या 01 के झूठे तथ्यों का पर्दाफाश होगा। वास्तव में उपरोक्त खसरे की भूमि के चारों तरफ अपीलांटगण की तारबन्दी की हुई है जिसमें अपीलांटगण का कब्जा व काश्त है। अतः आवेदन को स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट तहसीलदार बायतु से तलब करने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने उपरोक्त आवेदन पर बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण अंतिम बहस में विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के मध्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विवाद का निर्धारण अपील में तय होना है मौका रिपोर्ट में नहीं। मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई कारण नहीं है। अपीलांटस द्वारा प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से आवेदन पेश किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में विचाराधीन है इस स्टेज पर मौका रिपोर्ट का आवेदन स्वीकार किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट का उपरोक्त मौका रिपोर्ट बावत आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र मौका रिपोर्ट तलब करने पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में विचाराधीन हैं। तथ्यों को संग्रहित करने के लिए मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित नहीं है। इस स्टेज पर मौका रिपोर्ट तलब करना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांटस का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.02.2022 को पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने दिनांक 09.02.2023 को पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा एक अपील पेश की गई जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना–पत्र के संलग्न दस्तावेज न्यायालय द्वारा दावों की प्रमाणित प्रतियां व अन्य दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा खतौनी व गिरदावरी को पटवारी हल्का द्वारा जारी की गई। उक्त समस्त दस्तावेजात अपीलाधीन भूमि से संबंधित है तथा न्यायालय को निर्णय तक पहुंचने में सुविधा रहेगी और सभी दस्तावेजात लोक दस्तावेज है, इसलिये इनके किसी तरह से फर्जी होने की भी कोई सम्भावना नहीं है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर उपरोक्त संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांटस ने रेस्पोडेंटस द्वारा दिनांक 09.02.2023 पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि उतरदाता द्वारा पेश दस्तावेजात की नकलों का वादग्रस्त भूमि 40 बीघा से कोई संबंध नहीं है और न ही उक्त दस्तावेजात से हक व अधिकार तय होते है ऐसे दस्तावेजात केवल वितीय उद्देश्य के लिए काग आते है। बिजली कनेक्शन का न तो बिल प्रस्तुत किया गया और न ही बिजली विभाग द्वारा बिजली विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन का आदेश प्रस्तुत किया गया है और न ही नलकूप होने का सबूत प्रस्तुत किया गया है केवल मिथ्या कथन किये गये है। अतः रेस्पोडेंट का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस सुनने एवं एवं प्रार्थना–पत्र के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि उतरदाता द्वारा पेश सगरत दस्तावेजात अपील के अंतिम निस्तारण में सहायक है। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को पत्रावली पर पेश करना अनुज्ञात किया जाता है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री फर्जी तरीके से मिलावट कर पारित की गई। उपरोक्त फर्जी कार्यवाही के संबंध में न तो अपीलांटगण के पूर्वजों को कोई ज्ञान हुआ और न ही अपीलांटगण को इतने दिनों तक कोई ज्ञान ही हुआ। दिनांक 16.05.2019 को उतरदाता संख्या 01 व उसके परिवार के सदस्यों ने वादग्रस्त भूमि अपने नाम खातेदारी में होने का कहा और अपीलांटगण को बेदखल कर कब्जा हटाने की धमकी दी तब अपीलांटगण ने पटवारी हल्का से जमाबन्दी व नक्शे की नकल मांगी और उसके पश्चात अपीलांटगण बाड़मेर आये और दिनांक 21.05.2019 को उपरोक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री व पत्रावली की नकले मांगी जो नकले दिनांक 27.05.2019 को मिली जिसको पढवाने पर सर्वप्रथम उपरोक्त निर्णय व डिक्री पारित होने का ज्ञान हुआ। अपीलांट की अपील में विधि एवं न्याय का सारभूत प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है एवं न्याय का मत है कि जब परिसीमा के तकनीकी विचार के मुकाबले न्याय का सारभूत प्रश्न दफन होता हो तो सारभूत न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और अपील को गुणावगुण पर विनिश्चित की जानी चाहिये। अपीलांट को अपील पेश करने में हुऐ सदभाविक विलम्ब को माफ कर अपीलांट की अपील को अन्दर म्याद शुमार फरमाया जावे। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2002(1) Page 648

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि हस्तगत अपील अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.1981 के विरूद्ध लगभग 38 वर्ष पश्चात पेश की है जिसमें अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपील वर्तमान में दिनांक 16.05.2019 होना कथन किया है जबकि अपीलांट ने न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर उक्त हस्तगत अपील पेश की है क्योंकि वक्त अपीलाधीन निर्णय ईकाबलिया जबाव के आधार पर राजीनामा से पारित किया गया। अपीलांटगण को अपीलाधीन निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री का संपूर्ण ज्ञान था ओर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत ईकालिया जवाब में स्वयं अपीलांटगण ने उपस्थित होकर अपने अंगुष्ठ निशान अंकित किये थे जिसे पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा तस्दीक किया गया है। तत्पश्चात अपीलाधीन आराजी को लेकर पेश वाद संख्या 61/1988 निर्णय दिनांक 12.08.1988, राजस्व वाद संख्या 81/1994 निर्णय दिनांक 22.01.1996 अपीलांटगण स्वयं की उपस्थिति में पारित किया गया, उसके बावजूद हस्तगत अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में जरिये राजीनामा के पारित की गई है फिर भी अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होने का तथ्य सरासर गलत एवं झूठा है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का <u>उचित व युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है</u> जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपील पेश करने में हुऐ विलंब के बारे में मनगढत व झूठे तथ्य अंकित किये है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–S.B.CIVIL MIS. APPEAL NO. 4954/2017

S.B.CIVIL FIRST. APPEAL NO. 48/2019
CIVIL APPEAL NO. 7696/2021

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर अपीलांट स्वयं से तामील होना प्रतिवेदित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में राजीनामा के अनुसार पारित की गई। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 38 वर्ष बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चुंकि न्यायालय द्वारा मैरिट पर बहस सुनने के कारण मैरिट पर निर्णय पारित करना भी न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का सयुक्ति अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात ईकाबालिया जबाव के अनुसार जरिये राजीनामा गुणावगुण पर पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी के संबंध में राजस्व वाद संख्या 61/1988 बअनवान किशना बनाम टीकमा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1988 व राजस्व वाद संख्या 81/1994 अनवान जगमालराम बनाम हरजीराम में पारित निर्णय दिनांक 22.01.1996 उभयपक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार वाद सूचना गुणावगुण पर निर्णित किया गया। अपीलाधीन आराजी खरारा संख्या 84 में से रकबा 40 बीघा कम होने की जानकारी वक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से ही अपीलांटगण को थी, यह तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से भलीभांति सावित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश ईकबालिया जबाव के अनुसार राजीनामा से हुई। राजीनामा से पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पारित अपील पोषणीय नहीं है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांटगण की अपील मियाद बाहर सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/1981 बअनवान खेमाराम बनाम टीकमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.1981 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा लपेलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर